

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-5/9719/2017-18/

दिनांक 25.7.17

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति -

विषय:-शिक्षा के अधिकार अन्तर्गत फीस पुनर्भरण राशि के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में शैक्षिक सत्र 2015-16 प्रथम/द्वितीय एवं 2016-17 प्रथम/द्वितीय किश्त हेतु बजट आवंटन।

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में शैक्षिक सत्र 2015-16 प्रथम/द्वितीय एवं 2016-17 प्रथम/द्वितीय किश्त की राशि के पुनर्भरण हेतु विभिन्न लेखामदों में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जा रहा है।

बजट मद - 2202-01-800-14-00-57(राज्य निधि)

क्र.सं.	ऑफिस आईडी	ब्लॉक का नाम	आवंटित राशि
1	1706	शाहपुरा, जयपुर	3910222
2	1580	अजमेर शहर	3930720
3	1654	खानपुर,झालावाड	894713
योग			8735655

बजट मद - 2202-01-796-11-00-57(राज्य निधि)


क्र.सं.	ऑफिस आईडी	ब्लॉक का नाम	आवंटित राशि
1	1694	भीम,राजसमंद	632116
2	1691	रेलमगरा,राजसमंद	194932
3	1692	देवगढ,राजसमंद	889800
4	1690	खमनौर,राजसमंद	472447
5	32966	गलियाकोट,डूंगरपुर	1882250
योग			4071545

बजट मद - 2202-01-789-04-00-57(राज्य निधि)

क्र.सं.	ऑफिस आईडी	ब्लॉक का नाम	आवंटित राशि
1	1460	अनूपगढ,श्रीगंगानगर	229160
योग			229160


उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपयोग हेतु आवंटित की गई है तथा राशि का उपयोग इस कार्यालय के आर.टी.ई. अनुभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नियमानुसार किया जावे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक फ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय से प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक व 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।


वित्तीय सहायकाकार
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. नोडल अधिकारी,सिस्टम एवं अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. सहायक निदेशक, आरटीई0अनुभाग।
4. सहायक लेखाधिकारी अंक मिलान/योजना अनुभाग।
5. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सहायकाकार